

31-10-25 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिकृत उपस्थित
वकील प्राधीगण का प्रा-पत्र न्यायहित में स्वीकार
किया जाता है। परन्तु अगर प्रचलित/कदमी रास्ता था
चालू रास्ता चल रहा है तो उसे बाधित/बंद पत्परगनी
के दौरान बंद नहीं किया जावे। निर्णय पूर्वक से लिखा
जाकर शाब्दिक किया गया। पत्रावली के सल शुमार
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा